

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय  
सेन्ट्रल एक्साइज़ बिल्डिंग, रेसकोर्स,  
वडोदरा - 390 007.


व्यापार सूचना सं. 10/2010  
वडोदरा, दिनांक:-01.10.2010

विषय:- के.उ.शु. परिपत्र का परिचालन ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की प्रति आपकी सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए इस पत्र के साथ प्रेषित हैं:-

क्रमांक	परिपत्र सं.	दिनांक
1	Circular No.921/11/2010-CX	10.05.2010
2.	Circular No.933/23/2010-CX	16.08.2010
3.	Circular No.934/24/2010-CX	25.08.2010

सभी व्यापार संघों / वाणिज्य मंडलों एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सार्वजनिक सूचना को सभी सदस्यों के ध्यान में ला दें ।

  
(डॉ. आशिर त्यागि)  
अपर आयुक्त (तक.)  
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क,  
वडोदरा-।

संलग्न:- यथोपरि ।

फा.सं.IV/16-11/TN/Tech/2008 Pt.I

वडोदरा, दिनांक:01.10.2010

प्रतिलिपि प्रेषित:- व्यापार तथा विभागीय डाक के अनुसार ।

Circular No. 934/24/2010-CE

F.No. 209/15/2010-CX.6

Government of India

Ministry of Finance

(Department of Revenue)

Central Board of Excise & Customs

North Block, New Delhi 25<sup>th</sup> August, 2010

To

All Chief Commissioners of Central Excise & Customs.  
All Chief Commissioners of Customs / Customs (Prev.).  
All Commissioners of Central Excise & Customs.  
All Commissioners of Central Excise (Appeals).  
The Director General of Inspection for Customs and Central Excise.  
All Commissioners of Customs / Customs (Prev.).  
All Commissioners of Customs & Central Excise (Appeals).

AC(T)  
T. Notice pt.

Delhi  
30/8/10

**Subject:** Online Scheduling of factory stuffing inspection by Central Excise Officer - regarding.

Sir/ Madam,

It has been suggested to the Board that in order to reduce transaction cost involved in factory stuffing inspection by Central Excise officers scheduling factory stuffing permission should be provided on line by the department. This suggestion has been accepted by the department.

S. Anand  
11/10/10  
Super (T)

2. Accordingly, it has been decided by the Board to provide online scheduling for factory stuffing examination by Central Excise Officer. The respective Central Excise Commissionerate would make necessary arrangement in this respect by specifying the Range-wise official e-mail id on which the trade can forward their request for such factory stuffing inspection. The range would intimate by e-mail to the concerned assessee/ party about time for examination. The concerned Central Excise Commissionerate would also make further arrangement for monitoring of each such request and timely response. All other conditions will remain the same.

3. All the arrangement so made may also be brought to the notice of all concerned by way of issuance of suitable Public Notice / Standing Order for proper facilitation to the trade & industry.

4. Difficulties, if any, in implementation of the Circular may be brought immediately to the notice of the Board.

Yours sincerely,

(V.P. Singh)

Under Secretary (CX.6)

F No 06 / 06/2010-CX.1  
 Government of India  
 Ministry of Finance  
 Department of Revenue  
 Central Board of Excise and Customs

New Delhi the, 16 August 2010

To,  
 All the Chief Commissioners of Central Excise  
 All the Chief Commissioners (LTU)  
 All the Director Generals  
 All the Commissioners & Commissioner (Appeals) of Central Excise.

**Subject: Valuation of Goods cleared in DTA by EOU's.**

Board has received references seeking clarification with regard to the valuation of goods cleared from an EOU for sale in DTA, when actual sale transaction does not take place at the time of clearance but on a subsequent date. In such cases 100% of the goods are cleared from the EOU to depot from where the sale is effected through consignment agents. CBEC has earlier issued Circular No 268/85-CX.8 dated 29.09.1994, clarifying that valuation of goods in such situations will have to be done in accordance with the Rule 8 of the Customs Valuation Rule (Determination of Price of Imported Goods), 1988 as it existed then.

2. The issue has been re-examined. As per the proviso to Section 3(1) of the Central Excise Act, 1944, the value of such goods need to be determined in terms of section 14 of the Customs Act, 1962, read with Customs Valuation Rules (Determination of Price of Imported Goods), 2007.

3. In terms of the said rules the value will have to be determined by sequential application of Rules 3 to 9. The same view has been expressed by the CESTAT in following cases

- Endress Hauser Flowtec (I) Pvt Ltd. [2009 (237) ELT 598 (T)]
- Morarjee Brembana Ltd. [2003 (154) ELT 500 (T)]
- Uniworth Textile Ltd. [2009 (244) ELT 401 (T)]

5.0 In view of the position prevailing under Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007, and the decisions of tribunal on the subject earlier Board Circular No 268/85- CX.8 dated 29.09.1994 on the subject is withdrawn. The field formations may follow the provisions of Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 in such situations

6. Trade and field formations may be informed accordingly.

7. Hindi version will follow.

Yours faithfully


*S. Srivastava*

Sanjiv Srivastava  
 Director (CX.1)

परिपत्र सं.933/23/2010-सी एक्स

फा.सं.06/06/2010-सी एक्स-1


भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

  
अश्वि  
30/9/10

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त, 2010

सेवा में,

सभी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
सभी मुख्य आयुक्त (एल टी यू)  
सभी महानिदेशक  
सभी आयुक्त एवं आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

  
कृ.वा. सापके  
1/10/10  
अध्यक्ष, आयुक्त

विषय:- ई ओ यू द्वारा डी टी ए में निकासी किए गए माल का मूल्य निर्धारण ।

बोर्ड को ऐसे पत्र मिले हैं जिनमें डी टी ए में विक्रय के लिए ई ओ यू से निकासी किए गए ऐसे माल के मूल्य निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है जिनका वास्तविक विक्रय कारोबार निकासी के समय नहीं, बल्कि बाद के दिन हुआ है। ऐसे मामलों में 100% माल की निकासी ई ओ यू से डिपो में की जाती है जहां विक्रय खेप एजेंटों के माध्यम से होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने परिपत्र सं. 268/85-सी एक्स-8, दिनांक 29.09.1994 जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थितियों में माल का मूल्य-निर्धारण तत्कालीन सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण नियमावली (आयातित माल का मूल्य निर्धारण), 1988 के नियम-8 के अनुसार किया जाएगा।

2. मुद्दे की पुनः जांच की गई है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) के परन्तुक के अनुसार ऐसे माल के मूल्य का निर्धारण सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण नियमावली (आयातित माल का मूल्य निर्धारण), 2007 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।

3. उक्त नियमावली के दृष्टिकोण से मूल्य का निर्धारण नियम 3 से 9 के क्रमिक अनुप्रयोग द्वारा करना होगा। यही राय सीस्टेट द्वारा निम्नलिखित मामलों में व्यक्त की गई है:

- एंड्रेस हाऊजर फ्लॉटेक (आई) प्रा.लि. [2009(237)ईएलटी 598(टी)]
- मोरारजी ब्रेमबाना लि. [2003(154)ईएलटी 500(टी)]
- यूनिवर्थ टेक्सटाईल लि. [2009(244)ईएलटी 401(टी)]

5.0 सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2007 के अंतर्गत स्थिति तथा इस विषय पर न्यायाधिकरण के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर बोर्ड के पूर्व परिपत्र सं.268/85-सी एक्स-8, दिनांक 29.09.1994 को वापस लिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय ऐसी स्थितियों में सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन करें।


6. व्यापार एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को तदनुसार सूचित किया जाए ।

भवदीय

संजीव

(संजीव श्रीवास्तव)

निदेशक(सी एक्स-1)



परिपत्र सं.921/11/2010-सी एक्स

फा.सं.167/25/2010-सी एक्स-4

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक: 10 मई, 2010

सेवा में,

महानिदेशक (सभी)

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एल टी यू सहित (सभी)

आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी)

5/CTD  
 3/5/10

महोदय/महोदया,


विषय:- मिश्रित उद्ग्रहण स्कीम के अंतर्गत कार्य करने वाली स्टेनलेस स्टील पत्ता पत्ती अथवा अल्युमिनियम सर्कल्स यूनिटों पर शिक्षा उपकर और उच्चतर शिक्षा उपकर की उद्ग्रहणीयता-संबंधी।

मिश्रित उद्ग्रहण स्कीम के अंतर्गत स्टेनलेस स्टील पत्ता/पत्ती और अल्युमिनियम सर्कल्स पर अधिसूचना सं.17/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1.3.2007 के तहत निर्धारित शिक्षा उपकर एवं उच्चतर शिक्षा उपकर लगाने के मुद्दे पर क्षेत्रीय कार्यालयों से पत्र प्राप्त हुए हैं। यह सूचना दी गई है कि इन मर्दों के उत्पादकों ने इस आधार पर शिक्षा उपकर और उच्चतर शिक्षा उपकर का भुगतान रोक दिया है कि मिश्रित उद्ग्रहण स्कीम के अंतर्गत निर्धारित राशि में शिक्षा उपकर एवं उच्चतर शिक्षा उपकर शामिल है, जैसा कि पान मसाला और गुटखा के संबंध में मिश्रित उद्ग्रहण स्कीम में उल्लिखित है।

2. मामले की जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अलावा मिश्रित उद्ग्रहण के अंतर्गत शामिल एस एस पत्ता पत्ती और अल्युमिनियम सर्कल्स पर शिक्षा उपकर और उच्चतर शिक्षा उपकर का भुगतान करना अपेक्षित है क्योंकि संबंधित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मिश्रित उद्ग्रहण राशि में इसे विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, इसके लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

पान मसाला/गुटखा आदि के संबंध में मिश्रित उदग्रहण स्कीम के साथ तुलना गलत है, क्योंकि दोनों स्कीम विभिन्न अधिसूचनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। हालांकि पान मसाला/गुटखा के संबंध में अधिसूचना सं.42/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1.7.2008 में मिश्रित उदग्रहण स्कीम के अंतर्गत निर्धारित राशि में शिक्षा उपकर और उच्चतर शिक्षा उपकर शामिल है, परन्तु अधिसूचना सं.17/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1.3.2007 में स्टेनलेस स्टील पत्ता पत्ती और अल्युमिनियम सर्कल्स के संबंध में स्कीम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

3. व्यापार एवं उद्योग को सूचित किया जाए।
4. परिपत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,  


(मदन मोहन)

अवर सचिव (सी एक्स-1 एवं 4)